

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत निष्पादित की जाती है। यह मध्य प्रदेश सरकार की वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की प्राप्तियों, अन्य कर एवं कर भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करती है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो अवधि 2012–13 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के समय दृष्टिगत हुए तथा जो विगत वर्षों में दृष्टिगत हुए थे लेकिन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे; वर्ष 2012–13 के पश्चात् की अवधि से सम्बन्धित प्रकरण भी, जहां आवश्यक हैं, सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की गई है।